138

मानवीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी– 6206/2018/उज्जैन/भू.रा.

कलाबाई पति सीताराम जी उम्र 55 साल
जाति धाकड़ धंधा कृषि निवासी ग्राम खेंडावदा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

-- आवेदक

विरूद्ध

जानीबाई विधवा हरिरामजी आयु 77 वर्ष
जाति धाकड़ धंधा कृषि निवासी ग्राम खेंडावदा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

-- अनावेदक

श्री एम. आर. यादव
दिनांक 10/10/18
10.10.18
आयुक्त कार्यालय उज्जैन

595
10/10/18

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

मानवीय महोदय,

आवेदक/अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र.क्र. 48/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06–04–2018 जिसकी जानकारी दिनांक 21–08–2018 से निगरानी निम्न कारणों के आधार पर अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ दोनों अपील न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि, तहसीलदार महोदय द्वारा न तो विधिवत सीमांकन कराया और विपरीत आवेदक को भूमि पर से कब्जा दिये जाने का आदेश दिये जाने में त्रुटि की है।

4. यह कि, द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन किए बगैर आदेश पारित किया है जिस कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी-6206/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक की ओर से श्री ए.आर. यादव अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया एवं निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-04-18 के विरूद्ध दिनांक 10-10-18 को 3 माह 4 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की है । आवेदक द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विलंब क्षमा के संबंध में विचार किया जा सके । अत: ऐसी दशा में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	